न्यायालय जिला कलेक्टर, पाली

पीठासीन अधिकारी:: श्री अंश दीप, आई.ए.एस

पंचायत निगरानी ::50 / 2017 ::

जीसीएमएस नम्बर :: 2017 / 00330

प्रार्थी :–	बनाम	अप्रार्थीगण :–
3. राजू पुत्र श्री मुन्नालाल जाति कुम्हार 4. इन्द्रा देवी पत्नी श्री नैनाराम जाति कुम्हार, निवासीगण झुझण्डा, तहसील जैतारण, जिला पाली (राज.)		5. नटवर पुत्र नाथुराम , जाति कुम्हार 6. आदूराम पुत्र नाथुराम, जाति कुम्हार 7. बगदाराम पुत्र श्री छगनाराम, जाति कुम्हार निवासीगण झुझण्डा, तहसील जैतारण, जिला पाली (राज.) 8. ग्राम पंचायत सांगावास जरिये सरपंच ग्राम पंचायत सांगावास तहसील जैतारण, जिला पाली।

पंचायत निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राज. पंचायती राज अधिनियम, 1994

उपस्थित :– प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री श्याम सुन्दर पंचारिया
अप्रार्थी की ओर से श्री मोहम्मद शरीफ काजी

–:: नि र्ण य ::–

दिनांक :– 29/11/21

अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा यह निगरानी प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायत राज अधिनियम 1994 के तहत ग्राम पंचायत सांगावास के प्रस्ताव निल दिनांक 13.06.1990, मिसल संख्या 27 / 88–89 की पालना में जारी पट्टा संख्या 74 दिनांक 03.07.1990 को निरस्त कराने हेतु निवेदन किया है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर ग्राम पंचायत का रेकर्ड का तलब किया गया एवं बहस उभयपक्ष सुनी गई।

वकील प्रार्थी ने वक्त बहस कथन किया कि ग्राम पंचायत सांगावास द्वारा तेजाराम पुत्र श्री छगाराम व नाथुराम पुत्र चेनाराम जाति कुम्हार के हक में जैर निगरानी पट्टा जारी किया गया था जो पंचायत अधिनियम के प्रावधानों के विरूद्ध होने से एवं मौके की स्थिति के विपरित होने तथा आम रास्ते व सार्वजनिक चौक की भूमी तथा कुम्हार समाज के न्यावो की जमीन होने से उक्त जैर निगरानी आज्ञा व पट्टा निरस्त योग्य है। ग्राम पंचायत के समक्ष बाडे का पट्टा बनाने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया था जिसका नक्शा मय पड़ोस भी संलग्न प्रस्तुत किया गया जिस पर ग्राम पंचायत द्वारा मौका देखने बाबत वार्डपंच कानाराम, मंगलाराम व किशनसिंह को मुकर्रर किया गया जिस पर भिन्न वार्ड पंचों ने मौका देखा व कोई नाप चौक व नक्शा वार्डपंचो द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया। अतः जैर निगरानी पट्टा निरस्त योग्य है। ग्राम पंचायत द्वारा आपत्तियां आमंत्रित करने हेतु नोटिस जारी किया जिस पर गुदडराम व हापुराम के अंगुष्ठ निशान है लेकिन उक्त नोटिस किस स्थान पर किस दिनांक को किसके द्वारा चस्पा किया गया इसका उल्लेख नहीं होने से जैर निगरानी पट्टा निरस्तनीय है। ग्राम पंचायत द्वारा दो गवाह गुदडराम व हापुराम के बयान लिये गये जिसमें दोनों बयानों पर गुदड़राम के ही अंगुष्ठ निशान है। उक्त बयानों के आधार पर आज्ञा दिनांक 13.6.1990 पारित की गई। तथा पंचायत मिसल कार्यवाही में तेजाराम व नाथुराम के कोई अंगुष्ठ निशान / हस्ताक्षर नहीं है न ही उनके बयान है उक्त पंचायत मिसल पर सुन्दरी के अंगुष्ठ निशान है व बाड़े की भूमी व उसके पड़ोस का इन्द्राज नहीं है अतः जैर निगरानी पट्टा निरस्त योग्य है। मिसल में दर्ज तेजाराम पुत्र छगनाराम लाऔलाद फौत हो चूका है तथा नाथुराम पुत्र चेनाराम के दोनों लड़के नटवर व आदूराम का कब्जा नहीं है न पहले था उक्त भूमी कुम्हार समाज के लोगों के न्याव की जमीन है जो जमीन मटकियें, [illegible] मिट्टी के बर्तन पकाने के काम की भूमी है। तथा पट्टे की भूमी सार्व[illegible]क व रास्ते की भूमी है। अतः जैर निगरानी पट्टा काबिल [illegible] दिनांक 25.6.2012 को बगदाराम पुत्र छगाराम द्वारा जब[illegible] कब्जा करने का प्रया[illegible] जिससे प्रार्थीगणों व अप्रार्थीगणों के मध्य वाद–वि[illegible] हुआ व प्रार्थीगण द्वा[illegible]राम को कब्जा नहीं करने देने पर उसने उपखण्ड अधिकारी जैतारण के समक्ष उक्त भूमी पर प्रार्थीगण द्वारा कब्जा किये जाने की शिकायत की इस पर उपखण्ड अधिकारी

क्रमश.....................2

Signature Not Verified
Digitally signed by Ansh Deep Ralh
Date: 2022.01.30 09:38:14 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर, पाली

द्वारा ग्राम पंचायत सांगावास को आवश्यक कार्यवाही बाबत प्रेषित की गई। जिस पर ग्राम पंचायत द्वारा दिनांक 25.6.2012 को प्रार्थीगण को नोटिस प्रेषित किया गया। प्रार्थीगण द्वारा ग्राम पंचायत को अवगत कराया कि उक्त आराजी पर बगदाराम द्वारा अवैध कब्जा किया जा रहा है उक्त आराजी आम रास्ते व सार्वजनिक चौक की भूमी है जिसे वह हड़प करना चाहता है तब मौके पर बगदाराम ने जैर निगरानी पट्टे की नकल मौके की भूमी अपने नाम की होने बाबत प्रस्तुत की। तब प्रार्थीगणों को जैर निगरानी आज्ञा व पट्टे की जानकारी हुई। तथा जैर निगरानी आज्ञा व पट्टे की भूमी आम रास्ते व सार्वजनिक चौक की भूमी है तथा जिस पर जस्सा कुम्हार, मिश्रीनाथ व प्रार्थीगण व गांव के अन्य लोगों का आवागमन का रास्ता है। अतः उक्त जैर निगरानी पट्टा रास्ते की भूमी पर होने से निरस्त योग्य है। ग्राम पंचायत की मिसल में तेजाराम पुत्र छगनाराम व नाथु पुत्र चेना के हस्ताक्षर नहीं है तथा सम्बन्धित मिसल एक ही दिन में तैयार की गई है तथा जैर निगरानी पट्टा जारी करते समय पंचायत नियमों की पालना करते हुए प्रक्रिया अनुसार कार्यवाही नहीं की गई है। अतः निगरानी प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर जैर निगरानी पट्टा निरस्त करने के आदेश फरमावे।

अधिवक्ता अप्रार्थी ने वक्त बहस कथन किया कि निगरानकर्ता उक्त जैर निगरानी आराजी के संबन्ध में हितबद्ध पक्षकार नहीं है तथा न ही टाईटल का ही कोई विवाद होने से सम्बन्धित कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किए गए है। उक्त जैर निगरानी पट्टा ग्राम पंचायत द्वारा विधिक प्रक्रिया का पालन करते हुए जारी किया गया है। तथा जैर निगरानी पट्टा रास्ते की भूमी पर नहीं है। रास्ता वहां पर आज भी विद्यमान है। अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत निगरानी प्रार्थना पत्र अस्वीकार फरमाया जाकर जैर निगरानी पट्टा निरस्त फरमाया जावे।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। ग्राम पंचायत से प्राप्त रेकर्ड का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। इस निगरानी प्रार्थना पत्र में विचारणीय बिन्दु निम्नलिखित है :–

1. क्या उक्त पट्टा जारी करते हुए नियमों की पालना सुनिश्चित की गई ?

इस न्यायालय द्वारा ग्राम पंचायत से जैर निगरानी आराजी से संबंधित रेकर्ड तलब किया जाने पर ग्राम पंचायत द्वारा इस न्यायालय को प्रेषित पत्र दिनांक 21.11.2017 में मूल पत्रावली उपलब्ध नही होना बताते हुए केवल पट्टा बुक इस न्यायालय को प्रेषित की गई। परन्तु निगरानीकर्ता द्वारा जैर निगरानी आराजी से सम्बन्धित मिसल की प्रमाणित प्रतिलिपी रेकर्ड पर उपलब्ध करवाई गई है। जिसमें उक्त मिसल की आदेशिका में बस्तीराम द्वारा दिनांक 8.5.88 को आपति दायर की गई, जिसके सम्बन्ध में ग्राम पंचायत द्वारा गांव के बुजुर्गो से पूछताछ करने पर तेजा व नाथू के पूर्वजों का जैर निगरानी आराजी पर कब्जा होना बताया व बस्तीराम का गांव छोड़कर ब्यावर बस जाना बताया। तथा बस्तीराम द्वारा कोई सबूत ही ग्राम पंचायत में पेश नहीं किए गए। इस पर बस्तीराम का ऐतराज कारण सहित अप्रार्थी का जैर निगरानी आराजी पर कब्जा मानते हुए ग्राम पंचायत द्वारा दिनांक 26.3.89 को निरस्त कर दिया गया। ग्राम पंचायत द्वारा जैर निगरानी आराजी का निरीक्षण किया गया, आपति नोटिस जारी किया गया, गवाहों के बयान लिए गए, नक्शा बनाया गया, यह सब पत्रावली संलग्न मिसल की प्रमाणित प्रति के अवलोकन से स्पष्ट है। अतः ग्राम पंचायत द्वारा अन्य प्रक्रिया का भी सरसरी तौर पर पालना किया जाना पाया जाता है। अतः निगरानीकर्ता उक्त बिन्दु को साबित करने में असफल रहा हैं।

परिणामस्वरूप उपरोक्त सभी तथ्यों के मध्यनजर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अस्वीकार किया जाता है तथा ग्राम पंचायत सांगावास द्वारा प्रस्ताव निल दिनांक 13.06.1990 मिसल संख्या 27/88– की पालना में जारी पट्टा संख्या 74 दिनांक 03.07.1990 को यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक 29/11/21 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर शामिल मिसल किया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ansh Deep Ralh
Date: 2022.01.30 09:38:14 IST
Reason: SelfAttested

(अंश दीप)
जिला कलक्टर, पाली

जिला कलक्टर, पाली

न्यायालय जिला कलेक्टर पाली (राजस्थान)